एनएचपीसी लिमिटेड

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचरण संहिता और प्रक्रिया

[सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम-2015 के विनियम 8(1) के अनुक्रम में]

क. संहिता का उद्देश्य

इस संहिता का उद्देश्य एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा यूपीएसआई का निष्पक्ष और शीघ्र सार्वजनिक प्रकटीकरण करना है।

ख. यूपीएसआई का समरूप और सार्वभौमिक प्रसार

कंपनी ने समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुरूप स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए घटनाओं/सूचना की महत्ता के निर्धारण के लिए एक नीति अपनाई है। यह नीति स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए महत्तापूर्ण घटनाओं और महत्तापूर्ण सूचनाओं को परिभाषित करती है। सामान्य तौर पर उपलब्ध होने की दृष्टि अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) का शीघ्र सार्वजनिक प्रकटीकरण विश्वसनीय और ठोस सूचना सामने आने से पहले नहीं किया जाएगा । ऐसी सूचना महत्वपूर्ण घटनाओं का अर्थ ऐसी घटनाओं से है जिन्हें कंपनी के साथ काम करने वाली एक उचित हितधारक कंपनी, इसकी सेवाओं और इसकी प्रतिभूतियों के साथ जुड़ने और सौदा करने का फैसला करने में महत्वपूर्ण मानता है। क्या किसी विशेष सूचना को एक उचित हितधारक द्वारा महत्वपूर्ण माना जा सकता है, यह किसी समय विशेष पर मौजूद विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

महत्वपूर्ण सूचना- महत्वपूर्ण सूचना का अर्थ है नीति की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली महत्वपूर्ण घटनाएँ। जब कोई महत्वपूर्ण घटना या महत्वपूर्ण सूचना प्रकटीकरण को ट्रिगर करती है, तो कंपनी को उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को महत्वपूर्ण सूचना तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए जहाँ इसकी प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना को सामान्य तौर पर उपलब्ध सूचना माना जाएगा। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को जारी की गई सूचना को व्यापक प्रसार के लिए प्रेस को भी जारी किया जा सकता है। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को जारी की गई सूचना को कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी होस्ट किया जाना है।

ग विश्लेषकों और निवेशकों के साथ विचार-विमर्श

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि विश्लेषकों और संस्थागत निवेशकों के साथ व्यवहार करते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। कंपनी, वित्तीय समुदाय के बीच पारदर्शी और प्रभावी द्विपक्षीय संचार बनाए रखने के लिए, प्रबंधन समय-समय पर इक्विटी रिसर्च विश्लेषकों, निवेशकों और निवेशक समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करेगा।

इन विचार-विमर्श के दौरान, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी यूपीएसआई का प्रकटीकरण किसी एक या शोध विश्लेषकों या निवेशकों के समूह को चयनित रूप से न किया जाए, जिससे अन्य हितधारकों को नुकसान हो। कार्यवाही की रिकॉर्डिंग उपयुक्त मीडिया में आधिकारिक वेबसाइट पर 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

अप्रत्याशित प्रश्नों से निपटना

कंपनी विश्लेषकों के उन सवालों से तुरंत और सावधानी से निपटेगी जो चर्चा के इच्छित दायरे से बाहर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं। अप्रत्याशित प्रश्नों को नोटिस में लिया जा सकता है और बाद में विचारपूर्वक उत्तर दिया जा सकता है। यदि उत्तर में यूपीएसआई शामिल है, तो उत्तर देने से पहले एक सार्वजनिक घोषणा की जाएगी।

प्रकटीकरण/प्रसार का माध्यम

सूचना का प्रकटीकरण और प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है ताकि यह अधिकतम पहुंच और त्वरित प्रसार प्राप्त किया जा सके। स्टॉक एक्सचेंजों को सभी प्रकटीकरण तुरंत किए जाने चाहिए।

कंपनी की वैबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com विश्लेषक ब्रीफिंग सामग्री, महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी तथा प्रश्न और उत्तर तक सीधी पहुंच प्रदान करने का साधन प्रदान कर सकती है।

घ. चयनित रूप से प्रकटीकरण की गई यू.पी.एस.आई. का शीघ्र प्रसार

यूपीएसआई के चयनात्मक प्रकटीकरण की स्थिति में, अनजाने में या अन्यथा कंपनी उपरोक्त खंड बी के अनुसार यूपीएसआई के शीघ्र प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देगी। कंपनी सचिव और/या मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी चयनात्मक प्रकटीकरण के बारे में ज्ञात होने पर तुरंत और निष्पक्ष रूप से प्रतिक्रिया देंगे। इस संदर्भ में, अफवाहों या मीडिया अटकलों (अनाम व्यक्तियों के उद्धरणों सहित) को चयनात्मक प्रकटीकरण नहीं माना जाएगा।

अपवाद: वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन के लिए किसी इनसाइडर व्यक्ति द्वारा अन्य इनसाइडर लोगों सहित किसी भी व्यक्ति को यूपीएसआई साझा करना।

ड़. नियामक प्राधिकरणों की प्रतिक्रिया

कंपनी समाचार रिपोर्टों से संबंधित प्रश्नों और विनियामक प्राधिकरणों द्वारा बाज़ार की अफ़वाहों के सत्यापन के अनुरोधों का उचित और निष्पक्ष तरीके से जवाब देगी। कंपनी ऐसे अनुरोधों का तुरंत जवाब देने का प्रयास करेगी।

च. प्रकटीकरण की देखरेख और समन्वयन

कंपनी में निगरानी और प्रकटीकरण की मुख्य जिम्मेदारी मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) (महाप्रबंधक (वित्त) और उससे ऊपर के स्तर) की होगी, जिन्हें समय-समय पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा । सीआईआरओ कंपनी सचिव के साथ समन्वय करके यूपीएसआई की सूचना के प्रसार और प्रकटीकरण का कार्य करेगा ।

सीआईआरओ निम्नांकित के लिए जिम्मेदार होगा:

(i) निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन;
(ii) स्टॉक एक्सचेंजों, विश्लेषकों, शेयरधारकों और मीडिया को यूपीएसआई के प्रकटीकरण की देखरेख और समन्वयन;
(iii) टी एंड एचआरडी विभाग की सहायता से प्रकटीकरण नीतियों और प्रक्रिया पर कार्मिकों को शिक्षित करना ।

कंपनी द्वारा निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकता के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर की गई जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा सकती है।

छ. बाजार की अफवाहों पर प्रतिक्रिया

उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, सीआईआरओ/ कंपनी सचिव का नाम और पता पहले से ही सूचित किया जाना आवश्यक है ताकि उनके पास किसी भी बाजार अफवाह के सत्यापन के लिए एक्सचेंज द्वारा भेजा जा सकता है । स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे जाने वाले ऐसे संचार में सीआईआरओ/ कंपनी सचिव का टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी शामिल हो सकता है। बाजार अफवाहों के सत्यापन के लिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से अनुरोध प्राप्त होने पर, सीआईआरओ/ कंपनी सचिव तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाएंगे और उसके बाद ऐसे प्रश्नों या अनुरोधों का उचित एवं निष्पक्ष तरीके से उत्तर देंगे। ऐसी प्रतिक्रिया देते समय, सीआईआरओ/ कंपनी सचिव यह निर्णय ले सकते हैं कि अफवाहों की पुष्टि या खंडन के लिए सार्वजनिक घोषणा आवश्यक है अथवा नहीं और फिर प्रकटीकरण कर सकते हैं।

ज. यूपीएसआई के संचालन और "वैध उद्देश्यों" के निर्धारण पर नीति

कंपनी सभी यूपीएसआई को आवश्यकता के आधार पर देखेगी और किसी भी व्यक्ति को वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के निष्पादन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन के अलावा किसी भी यूपीएसआई के संबंध में जानकारी नहीं दी जाएगी। वैध उद्देश्यों के निर्धारण के लिए नीति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

झ. यूपीएसआई के लीक होने की स्थिति में प्रक्रिया

यूपीएसआई के लीक होने की स्थिति में, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(i) यूपीएसआई के लीक होने या यूपीएसआई के संदिग्ध लीक के बारे में पता चलने पर उचित जांच शुरू की जाएगी।

(ii) जांच की प्रक्रिया कंपनी के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार होगी।

(iii) कंपनी के निदेशक मंडल तथा सेबी को ऐसे लीक, जांच तथा जांच के परिणामों के बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा।

(iv) कार्मिकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यूपीएसआई के लीक करने की स्थिति में, लीक की घटनाओं की सूचना संबंधित नियामक प्राधिकरणों/ निकायों को दी जाएगी।

ञ. संहिता में संशोधन

किसी भी वैधानिक या नियामक परिवर्तन (परिवर्तनों)/ संशोधन (संशोधनों) के अनुरूप इस कोड में किया जाने वाला कोई भी संशोधन, कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की स्वीकृति से ही किया जाएगा।

ट. संहिता की समीक्षा

इस संहिता की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा हर दो साल में कम से कम एक बार की जाएगी।

****

वैध उद्देश्यों के निर्धारण के लिए नीति

(i) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई*)* को केवल 'जानने की आवश्यकता के आधार पर' वैध उद्देश्यों के लिए साझा किया जा सकता है।

वैध उद्देश्यों' में एक इनसाइडर सूत्र द्वारा किसी अन्य इनसाइडर सूत्र, भागीदारों, सहयोगियों, उधारदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेंट बैंकरों, कानूनी सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, दिवालियापन पेशेवरों या अन्य सलाहकारों या परामर्शदाताओं के साथ कारोबार के सामान्य क्रम में यूपीएसआई को साझा करना शामिल होगा, बशर्ते कि ऐसा साझाकरण इन विनियमों के निषेधों से बचने या उन्हें धोखा देने के लिए नहीं किया गया हो।

'वैध उद्देश्यों' की सांकेतिक सूची जिसके लिए यूपीएसआई को साझा किया जा सकता है, इस प्रकार है:

1. वित्तीय परिणामों की तैयारी के दौरान लेखा परीक्षकों, डिबेंचर ट्रस्टियों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सूचना साझा करना।
2. शेयरों की पुनर्खरीद जैसे पूंजी पुनर्गठन के संबंध में मर्चेंट बैंकरों/परामर्शदाताओं के साथ सूचना साझा करना।
3. लाभांश की घोषणा के लिए लेखा परीक्षकों/बैंकरों/परामर्शदाताओं के साथ सूचना साझा करना।
4. कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए कानूनी सलाहकारों/परामर्शदाताओं के साथ सूचना साझा करना।

(ii) यू.पी.एस.आई. को उनके कानूनी दायित्वों/कर्तव्यों के आचरण/निष्पादन को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित के साथ साझा किया जा सकता है।

- सांविधिक लेखा परीक्षक
- सचिवीय लेखा परीक्षक
- आंतरिक लेखा परीक्षक और लागत लेखा परीक्षक
- कानूनी सलाहकार/परामर्शदाता
- लाभांश बैंकर
- रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मर्चेंट बैंकर आदि जैसे मध्यस्थ,
- बैंकर/वित्तीय संस्थान
- नियामक प्राधिकरण/सरकारी विभाग
- कोई अन्य व्यक्ति जो ऊपर कवर नहीं है, जिसे अपने कार्यों का उचित रूप से निर्वहन करने के लिए यूपीएसआई तक पहुंच की आवश्यकता हो सकती है

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर, अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

(iii) यूपीएसआई कंपनी के भीतर किसी भी विभाग से उत्पन्न हो सकता है और इसलिए संबंधित विभागाध्यक्ष पर यह दायित्व होगा कि वह ऐसे यूपीएसआई का स्रोत हो, जो अपनी कार्यात्मक/कानूनी आवश्यकता के आधार पर इसे अन्य व्यक्ति के साथ साझा करने की आवश्यकता को उचित ठहराए।

(*iv)* संबंधित विभागाध्यक्ष को यूपीएसआई साझा करने के बारे में अनुपालन अधिकारी को सूचित करना होगा तथा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विनियमों के अनुपालन में ऐसे यूपीएसआई की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों को उचित सूचना दी जाएगी। वैध उद्देश्यों के तहत यूपीएसआई साझा करने वाले पक्ष गोपनीयता बनाए रखने तथा गैर-प्रकटीकरण दायित्वों को प्रदान करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे तथा ऐसे पक्ष इस प्रकार प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखेंगे। यूपीएसआई के कब्जे में होने पर पक्ष कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार नहीं करेंगे।

(v) यूपीएसआई की प्रकृति, यूपीएसआई साझा करने वाले व्यक्ति का नाम तथा जिस व्यक्ति के साथ यूपीएसआई साझा किया गया है, उसका नाम स्थायी खाता संख्या (पैन) या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचानकर्ता के साथ अनुपालन अधिकारी को तुरंत प्रदान किया जाएगा, जहां इस संहिता के अनुपालन की निगरानी के लिए पैन उपलब्ध नहीं है। "वैध उद्देश्य" के अनुसरण में यूपीएसआई प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस संहिता के प्रयोजनों के लिए "इनसाइडर व्यक्ति" माना जाएगा। विनियमों के अनुसार, संगठन के अंदर या बाहर यूपीएसआई के प्रवाह को पकड़ने के लिए कंपनी में एक संरचित डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) लागू किया गया है। एसडीडी में यूपीएसआई के प्रवाह को कैप्चर करना संबंधित विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।

संस्करण नियंत्रण तालिका

प्रभावी तिथि	संस्करण	संशोधन
15.05.2015*	1.0	इस संहिता को निदेशक मंडल द्वारा उनकी 383 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।
01.04.2019	2.0	निदेशक मंडल द्वारा अपनी 423 वीं बैठक में संशोधित।
07.09.2020	3.0	संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से संशोधित किया गया।
11.07.2024	4.0	संहिता को निदेशक मंडल द्वारा उनकी 481 वीं बैठक में संशोधित किया गया।
28.08.2026	5.0	संहिता को निदेशक मंडल द्वारा उनकी 512वीं बैठक में संशोधित किया गया।

[नोट: सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 के अनुसार कोड, समय -समय पर संशोधित, जून, 2009 से 14 मई, 2015 तक कंपनी में अस्तित्व में था]